

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p>गोपाराम सीरवी बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार बिलाड़ा)</p> <p>सू.अ.अ. अपील संख्या 62 / 2020</p>	<p>नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>17.06..20</p>	<p>दिनांक 23.03.2020 से दिनांक 31.05.20 तक लोकडाउन घोषित होने से पत्रावली आज पेशी पर ली गई। संक्षिप्त में अपील इस प्रकार है कि अपीलार्थी गोपाराम सीरवी, पता तकनीकी शिक्षा निदेशालय, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 17.01.20.20 में उसके द्वारा (1) राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार बिंजवाड़िया रोड स्थित खजूर वाली सरवन से मनावतों की सरवन व मनावतों की सरवन से चौधरियाट तक पक्के व कच्चे आम रास्ते की चौड़ाई कितनी है व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, बिलाड़ा) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार, बिलाड़ा) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थीपक्ष अनुपस्थित।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(तहसीलदार बिलाड़ा) से आज दिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार बिलाड़ा) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बारे में प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	